"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 250] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 30 सितम्बर 2005—आश्विन 8, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2005

क्रमांक 7758/21-अ/प्रारुपण/04.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 26-9-2005 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2005

(क्रमांक 17 सन् 2005)

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम को छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2005 कहा जा सकेगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा.

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(1) ''टोनही'' से अभिप्रेत है व्यक्ति जिसे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा उपदर्शित किया जायें कि वह किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों अथवा समाज अथवा पशु अथवा जीवित वस्तुओं को काला जादू, बुरी नजर या किसी अन्य रीति से हानि पहुंचायेगा अथवा हानि पहुंचाने की शक्ति रखता है अथवा इस तरह वह हानि पहुंचाने का आशय रखता है, चाहे वह डायन, टोनहा अथवा किसी अन्य नाम से जाना जाता हो ;

(2) ''पहचानकर्त्ता'' से अभिप्रेत है व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को टोनही के रूप में उपदर्शित करता हो या अन्य व्यक्ति को उपदर्शित करने के लिए प्रेरित करता हो या अपने कार्य, शब्दों, भावभंगिमा या व्यवहार से उपदर्शित करने में मदद् करता हो या जान-बूझकर ऐसा कोई कार्य करता हो जिससे ऐसी पहचान के आधार पर उस व्यक्ति को क्षति पहुंचे अथवा क्षति पहुंचने की आशंका हो अथवा उसकी सुरक्षा एवं सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ;

(3) ''ओझा'' चाहे वह किसी भी अन्य नाम से जाना जाता हो, से अभिप्रेत है व्यक्ति जो यह दावा करता हो कि उसमें झाड़फूंक, टोटका, तंत्र मंत्र या अन्य साधनों द्वारा टोनही या टोनही द्वारा प्रभावित कहे गये किसी व्यक्ति या पशु या जीवित वस्तुओं को नियंत्रित, उपचारित, शक्तिहीन करने की क्षमता है ;

(4) ''हानि'' में शामिल है शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक नुकसान तथा प्रतिष्ठा को नुकसान ;

(5) ''संहिता'' से अभिप्रेत है दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का संख्यांक 2).

अधिनियम किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं.

3. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे तथा यह उसका अल्पीकरण नहीं करेगा.

टोनही की पहचान के लिए दंड.

4. जो कोई, किसी व्यक्ति की किसी भी माध्यम से टोनही के रूप में पहचान करता है, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी तथा जुर्माने से भी दंडित किया जायेगा.

प्रताड़ना के लिए दंड.

5. जो कोई, स्वयं या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा टोनही के रूप में पहचान किये गये व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है या नुकसान पहुंचाता है, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक हो सकेगी तथा जुर्माने से भी दंडित किया जायेगा.

अभिकथित उपचार के लिए दंड.

6. जो कोई, टोनही के रूप में पहचान किये गये या टोनही द्वारा कथित प्रभावित व्यक्ति, पशु या जीवित वस्तु पर ओझा के रूप में झाड़फूंक, टोटका, तंत्र-मंत्र के उपयोग या अन्य कार्य, उपचार या नियंत्रण के दावे के अंतर्गत करता है, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि पांच वर्ष तक हो सकेगी तथा जुर्माने से भी, दंडित किया जायेगा.

7. जो कोई, दावा करता हो कि वह काला जादू, बुरी नजर या किसी अन्य रीति से किसी व्यक्ति, पशु अथवा जीवित वस्तुओं को क्षति पहुंचाने की शक्ति रखता है और ऐसा प्रचारित करता है और लोक प्रशांति एवं परिशांति भंग करने का प्रयास करता है एवं अन्य को क्षोभकारित या क्षतिकारित करता है, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी तथा जुर्माने से भी, दंडित किया जायेगा.

टोनही होने का दावा करने के लिए दंड.

8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध कारित करने का प्रयास करेगा या ऐसे अपराध कारित होने का कारण बनेगा और ऐसे प्रयास में अपराध कारित करने की दिशा में कोई कार्य करेगा उसे ऐसे अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित किया जायेगा.

अपराध कारित करने के प्रयास हेतु दंड.

9. इस अधिनियम के अंतर्गत समस्त अपराध प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में विचारणीय होंगे.

अपराधों का विचारण.

10. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का संख्यांक 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय समस्त अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे ;

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी दण्डनीय अपराध का अभियुक्त व्यक्ति जमानत पर अथवा अपने स्वयं के बंधपत्र पर तब तक नहीं छोड़ा जायेगा जब तक कि लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया हो.

अपराध का संज्ञेय तथा अजमानतीय होना.

11. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 360 अथवा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (क्रमांक 20 सन् 1958) में अंतर्विष्ट कोई बात इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जब तक कि ऐसा व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का न हो.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 360 तथा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 का लागू होना.

12. धारा 4, 5 एवं 6 के अंतर्गत जहां जुर्माने का दंड अधिरोपित किया जाता है, न्यायालय जुर्माने की राशि के निर्धारण में उपचार पर हुए कोई व्यय सहित, पीड़ित को हुए शारीरिक एवं मानसिक नुकसान को विचारण में लेगा.

जुर्माने के निर्धारण में विषयों को विचारण में लिया जाना.

13. जब कोई न्यायालय जुर्माने का दंड अधिरोपित करता है तब न्यायालय निर्णय पारित करते समय वसूल किया गया जुर्माना पूरा या आंशिक, पीड़ित को मुआवजे के रूप में भुगतान का आदेश दे सकेगा.

मुआवजे का आदेश.

14. इस अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत बनाये गये किसी नियम के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी निर्णय अथवा पारित आदेश के विरुद्ध वाद या कार्यवाही सिविल न्यायालय ग्रहण नहीं करेगा.

क्षेत्राधिकार का वर्जन.

15. इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करते हुए अथवा कर्त्तव्य का निर्वहन करते हुए राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अधिकारी अथवा अन्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम या इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई अथवा किये जाने के लिए आशयित किसी कार्य के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.

सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण.

16. राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए नियम बना सकेगी.

नियम बनाने की शक्ति.

इस अधिनियम के अधीन राज्य शासन द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जायेगा.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2005

क्रमांक 7758/21-अ/प्रारुपण/04.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2005 (क्र. 17 सन् 2005) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

THE CHHATTISGARH TONAHI PRATADNA NIVARAN ACT, 2005
(No. 17 of 2005)

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-sixth year of the Republic of India as follows :—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Tonahi Pratadna Nivaran Adhiniyam, 2005.

(2) It extands to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(1) "Tonahi" means person indicated by any person or persons that he will harm or possesses power to harm or thereby he intends to harm any other person or persons or society or animal or living things by black magic, evil eye or by any other means, whether known as Dayan, Tonaha or by any other names.

(2) "Identifier" means person who indicates any person as Tonahi or induces other person to indicate or by his deed, words, gesture or behaviour helps to indicate or knowingly does anything so, thereby on the basis of such indication that person may be harmed or apprehended to be harmed or his security and honour may be adversely affected.

(3) "Ojha" may he be known by any other name what so ever, means person who claims to posses power to control, cure, treat Tonahi or any person or animal or living things alleged to be affected by Tonahi and make him powerless, by jharphook, totka, tantra-mantra or by any means.

(4) "Damage" includes physical, mental and economic harm and harm to reputation.

(5) "Code" means the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974).

Act not in derogation of any other law.

3. The Provision of this Act shall be in addition to and not in derogation of any other law for the time being in force.

Punishment for identifying Tonahi.

4. Whoever identifies any person as tonahi by any means shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 3 years and also with fine.

Punishment for harassment.

5. Whoever causes physical or mental harassment or damage to any person identified by him or any person as tonahi shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 5 years and also with fine.

6. Whoever does any act of jhar-phook, totka, use of tantra-mantra or anything as Ojha upon any person indicated as a tonahi or any other person or animal or living thing alleged to be affected by such tonahi, under any claim of treatment or control shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 5 years and also with fine. — **Punishment for alleged curing.**

7. Whoever claims to have power to harm any person or animal or living things by black magic, evil eye or by any other means and publicizes it and tries to disturb the public tranquility or peace or causes annoyance or harms others shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to one year and also with fine. — **Punishment for claiming to be tonahi.**

8. Whoever attempts to commit any offence punishable under this Act or to cause such offence to be committed and in such attempt does any Act towards the commission of the offence shall be punished with the punishment provided for the offence. — **Punishment for attempt to commit offence.**

9. Every offence under this Act shall be triable by the Judicial Magistrate First Class. — **Trial of offences under the Act.**

10. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974),— — **Offences to be cognizable and nonbailable.**

   (a) every offence punishable under this Act shall be cognizable and nonbailable.

   (b) no person accused of an offence punishable under this Act shall be released on bail or on his own bond unless, the public prosecutor has been given an opportunity to oppose the application for such release.

11. Nothing contained in section 360 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) or in the Probation of Offenders Act, 1958 (No. 20 of 1958) shall apply to a person convicted of an offence under this Act unless such person is under eighteen years of age. — **Application of Section 360 of the Code of Criminal Procedure, 1973 and of the Probation of Offenders Act, 1958.**

12. Where a sentence of fine is imposed under Sections 4, 5 and 6, the court in fixing the amount of the fine shall take into consideration the physical and mental damage caused to victim including any cost of treatment. — **Matters to be taken into consideration for fixing fine.**

13. When a court imposes sentence of fine, the court shall when passing judgment, order the whole or part of the fine recovered to be awarded as compensation to the victim. — **Order for Compensation.**

14. No Civil court shall entertain any suit or proceeding against any decision made or order passed by any officer or authority under this Act or any rule made thereunder. — **Bar of Jurisdiction.**

15. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government or any officer of the State Government or any other person exercising any power or discharging any function or performing any duty under this Act, for anything done in good faith or intended to be done under this Act or any rule made thereunder. — **Protection of Action taken in good faith.**

16. The State Government may, by notification make the rules to carry out the provisions of this Act. — **Power to make Rule.**

Every rule made under this Act by the state government shall be laid, as soon as may be after it is made, before the state-legislature.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2005.